भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1078
गुरुवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

1078. श्री अनुभव मोहंती:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, पुरी को अनुसूची-III में शामिल करने के लिए जीएसआर 751 (ई) में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि ओब्सटैकल लिमिटेशन सरफेसेस (ओएलएस) को एनओसीएएस के माध्यम से संरक्षित किया जा सके और प्रस्तावित विमानपत्तन के आस-पास निर्माण पर वर्तमान में लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जा सके?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

किसी हवाईअड्डे के आसपास की वस्तुओं की ऊंचाई समय-समय पर संशोधित नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों के रक्षोपाय के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2015 द्वारा नियंत्रित होती है। ये नियम विशेष रूप से इन नियमों की अनुसूची में सूचीबद्ध हवाईअड्डों पर लागू होते हैं। राज्य सरकार द्वारा हवाईअड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किसी हवाईअड्डे को इन नियमों के दायरे में शामिल किया जाता है। पुरी में प्रस्तावित हवाईअड्डे ने केवल साइट की मंजूरी प्राप्त की है, इसलिए इन नियमों के दायरे में पुरी हवाईअड्डे को शामिल करना हवाईअड्डे के लिए ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त होने की शर्त के अध्यधीन है।

******